भारत गणराज्य की सरकार
तथा
क्यूबा गणराज्य की सरकार के
बीच
वर्ष 2005–2007 के लिए
सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा क्यूबा गणराज्य की सरकार, भारत गणराज्य की सरकार तथा क्यूबा गणराज्य की सरकार के बीच 21 जुलाई, 1976 को नई दिल्ली में किए गए सांस्कृतिक करार को ध्यान में रखते हुए;

संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की संयुक्त इच्छा से प्रेरित होकर दोनों देशों तथा उनके लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध तथा सहयोग बढ़ाने और विकसित करने की इच्छा से;

दोनों पक्ष वर्ष 2005–07 के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर सहमत हैं :

1. कला और संस्कृति

अनुच्छेद 1

क्यूबाई पक्ष शंकर अंतरर्राष्ट्रीय बाल चित्र प्रतियोगिता में भाग लेगा।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्ष एक–दूसरे के देश के पुरातत्व वास्तुशिल्प तथा उत्खनन सामग्री के संबंध में प्रकाशनों का आदान–प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 3

दोनों पक्ष उत्कृष्ट कला नमूनों की प्रतिकृति का आदान–प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 4

दोनों पक्ष **भारतीय त्रैवार्षिकी** तथा **हवाना, क्यूबाई त्रैवार्षिकी** में भाग लेने के लिए अपने–अपने कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्ष लेखकों के शिष्टमंडलों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देंगे तथा एक–दूसरे के देश की पुस्तकों के प्रकाशन पर विचार करेंगे।

अनुच्छेद 6

दोनों पक्ष एक दूसरे के देश में पुस्तक मेलो/प्रदर्शनियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 7

दोनों पक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययनार्थ दो से तीन सप्ताह के लिए एक–एक व्यक्ति का आदान–प्रदान करेंगे :

स्कूलों में सांस्कृतिक शिक्षा :–

–कलात्मक विरासत का अध्ययन;

–विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक कार्यकलाप;

–विद्यार्थियों के लिए दृश्य–श्रव्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास ताकि वे कला और संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला सीख सकें;

–शिक्षण केन्द्रों के रूप में संग्रहालय;

कलाओं का प्रलेखन तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण :

–मंच और रूपंकर कला के प्रलेखन संबंधी तकनीक;

–तालिकाकरण, विषयसूची तथा पुस्तकालय सेवाएँ;

–संसाधनों का संग्रह (दृश्य–श्रव्य तथा लिखित पाठ);

अनुच्छेद 8

दोनों पक्ष हस्तशिल्पों की एक प्रदर्शनी का आदान–प्रदान करेंगे जिसके साथ एक संग्राध्यक्ष जाएगा। इसके अन्य ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 9

दोनों पक्ष एक माह की अवधि के लिए पुस्तकालय तथा अभिलेख सामग्री के क्षेत्र में एक संरक्षणविद का आदान–प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 10

दोनों पक्ष एक दूसरे के देश में फिल्म सप्ताह के आयोजन को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 11

दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने अपने अंतरर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 12

कलाकारों, निजी व्यक्तियों/शिष्टमंडलों के आदान–प्रदान तथा प्रदर्शनियों के आदान–प्रदान के संबंध में सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान सामान्य राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

.अनुच्छेद 13

यह कार्यक्रम, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रवृत्त होगा और 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

इस कार्यक्रम पर दिनांक........................2005 को हवाना में हिन्दी, स्पेन तथा अंग्रेजी भाषा की दो–दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए और ये सभी पाठ समान रूप से प्रमाणित हैं। किसी भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य सरकार की ओर से	क्यूबा गणराज्य सरकार की ओर से
नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :